Copy

दिनांक : 19.08.2017

सेवा में,

पंजाब राज्य मानवाधिकार आयोग
SCO NO. 20-21-22, सेक्टर 34-A,
चंडीगढ - 160034

विषयः पुलिस अधिकारी की शिकायत करने पर उसके द्वारा दुश्मनी निकालने के लिये बिना जरूरी दस्तावेज़ दिखाये उठाकर ले जाने के मामले में पुलिस अधिकारी पर कार्यवाही किये जाने व पीड़ित को भ्रष्ट पुलिस अधिकारी के चंगुल से छुड़ाने बावत्|

महोदय,

मैं चंद्रकला ठाकुर पत्नि स्व. इंद्रकांत ठाकुर (पताः मकान नं. 14060, गली नं. 2, राम नगर, टिब्बा रोड़, लुधियाना – 141007 Mob. 79735-71454) हूँ, मेरे बेटे मुकेश ठाकुर के ऊपर झूठी F.I.R. करके उसे मौहल्ले में हथकड़ी पहनाकर घुमाया गया था जिस मामले में मेरी तरफ से पंजाब राज्य मानवाधिकार आयोग में शिकायत की गई थी जिसकी सुनवाई 4 सितंबर को है|

मैंने जिस अधिकारी ASI स्वर्ण सिंह के खिलाफ शिकायत की थी वह आज सुबह 5.00 बजे के आसपास सादी वर्दी में आया (जिनमें दो पुलिसकर्मी ही वर्दी में थे) और बिना कोई जरूरी दस्तावेज़ दिखाये मेरे बेटे की गर्दन पकड़ कर ले जाने लगे, मैंने विरोध किया व जरूरी दस्तावेज़ पूछे तो मुझे धक्का देकर गिरा दिया और गालियाँ बकते हुये चिल्लाते हुये कहने लगे कि, "तुम लोग पुलिस के खिलाफ शिकायत करते हो अब अंजाम भुगतो" उसके बाद मेरे बेटे को लगभग घसीटते हुये ले गये मैंने हथकड़ी पहनाकर मौहल्ले में घुमाने के मामले में इस अधिकारी ASI स्वर्ण सिंह के खिलाफ शिकायत की है, यह भ्रष्ट पुलिस अधिकारी अब मेरे बेटे का दुश्मन बन चुका है और मेरे बेटे को जान से मार भी सकता है|

अतः मेरे बेटे को इस अधिकारी से बचाया जाये और गैर-कानूनी तरीके से मेरे बेटे को उठाये जाने के मामले में कार्यवाही की जाये| जो भी उचित और कानूनी कार्यवाही बनती होगी उसमें मैं पूरा सहयोग दूँगी| मेरे बेटे मुकेश ठाकुर के ऊपर दर्ज किये गये झूठे मामले की शिकायत पहले भी लुधियाना पुलिस कमिश्नर को की जा चुकी है जिसकी कॉपी भी साथ में संलग्न है|

इस मामले में पंजाब राज्य मानवाधिकार आयोग की तरफ से सुनवाई हेतु प्राप्त पत्र भी साथ में संलग्न है|

मेरे बेटे मुकेश की इन भ्रष्ट पुलिस अधिकारी से जान बचाई जाये और इस पूरे मामले की जाँच विशेष जाँच दल (SIT) द्वारा की जाये|

चन्द्रकला ठाकुर

चंद्रकला ठाकुर
पताः मकान नं. 14060, गली नं. 2,
राम नगर, टिब्बा रोड़, लुधियाना – 141007
Mob. 79735-71454)

Scanned by CamScanner